फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जयदीप सिंह बनाम ग्राम पंचायत महेशवास

प्रकरण संख्या : 14/2022 /2023

अपील

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/01/24.	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा-75 land Revenue Act, 1956 एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 अन्तर्गत limitation Act पर बहस पूर्व में गत तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली मय दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को अपील के साथ पेश प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5, मियाद अधिनियम पर सुना गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश से ही स्पष्ट है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही पक्षकारों को आदेश की दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होना नहीं बताया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर क्रेता एवं विक्रेता	

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला– जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जयसिंह बनाम ग्राम पंचायत महेशवास

अपील

प्रकरण संख्या :– 14/2022/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		दोनों की सुनवाई हेतु सम्मन किये जाने का कोई उल्लेख रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपीलाधीन आदेश की जानकारी, अपीलार्थी को नहीं होना स्वयंमेव सिद्ध है इसलिए अपीलार्थी को आदेश की जानकारी नहीं होना, अपील में देरी का पर्याप्त आधार है इसलिए न्यायहित में मियाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा -5 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की अपील पर सुना गया। ~~अधीनस्थ~~ दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली मय दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर नामांतकरण अस्वीकार किया कि क्रेता एवं विक्रेता उपस्थित नहीं है। Sd/-

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला– जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जयदीप सिंह बनाम ग्राम पंचायत महेश बास

प्रकरण संख्या :- 14/2022 2023

अपील

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में ना तो सम्मन की प्रति संलग्न नहीं है, और ना ही आदेश व रिकॉर्ड पर सम्मन किए जाने का उल्लेख है। अतः बिना सम्यक तामिल के नामान्तरण अस्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। चूंकि अपीलाधीन आदेश विक्रय पत्र रजिस्ट्रेशन दिनांक 16.07.2020, क्रम संख्या 202003017103078 के आधार पर होना है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पत्रावली के रिकॉर्ड पर है। अपीलार्थी ने सशपथ यह बयान किया है कि उक्त विक्रय-पत्र का आगे किसी तरह का अंतरण नहीं हुआ है, तो विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तकरण किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार, जालसू को आदेशित किया जाता है कि	

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला– जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जयदीप सिंह बनाम ग्राम पंचायत महेशवास

प्रकरण संख्या :- 14/2022 / 2023 अपील

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		विक्रय-पत्र दिनांक 16.07.2020 के अनुसार विक्रेता श्रीमती केसर ~~सिंह~~ कंवर पत्नि श्री लल्लू सिंह, जाति-राजपूत, (खसरा नं. 732, 733, कुल रकबा 0.72 हे०) के स्थान पर क्रेता श्री जयदीप सिंह चौहान पुत्र श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, जाति राजपूत, (खसरा नं. 732, 733 कुल रकबा 0.72 हे०) का नाम दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~[illegible]~~ दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/01/24 को खुले न्यायालय एवं सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला-जयपुर